बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग

ज्ञाप संख्या–01/विकास–यो0–241/2026 2877ई0 पटना, दिनांक– 10 अगस्त, 2026

प्रेषक,

अनिल कुमार झा, भा.प्र.से.,
ईखायुक्त, बिहार।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

विषय : वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य योजना अंतर्गत कृषि रोड मैप के तहत " नये क्षेत्रों में गन्ना फसल क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम " के कार्यान्वयन हेतु कुल राशि 1490.14 (चौदह करोड़ नब्बे लाख चौदह हजार रू0) के निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

आदेश : स्वीकृत।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक राज्य सरकार द्वारा राज्य योजना अंतर्गत कृषि रोड मैप के तहत " नये क्षेत्रों में गन्ना फसल क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम " के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2026–27 में कुल 1490.14 (चौदह करोड़ नब्बे लाख चौदह हजार रू0) मात्र रूपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी जाती है।

(2) गन्ना एक प्रमुख नगदी फसल है, जिसके विकास से किसानों की आय में वृद्धि होती है। सात निश्चय–3 के अंतर्गत "समृद्ध उद्योग–सशक्त बिहार" के तहत नई एवं कार्यरत चीनी मिलों हेतु पर्याप्त गन्ना उपलब्ध कराने तथा गन्ना क्षेत्र का तीव्र विस्तार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम स्वीकृत किया जाता है।

(3) योजना का कार्यालयवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य परिशिष्ट–1 के रूप में संलग्न है।

(4) योजना का कार्यान्वयन सहायक निदेशक, ईख विकास के द्वारा किया जाएगा। इस योजनांतर्गत स्वीकृत राशि की निकासी हेतु संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे तथा स्वीकृत राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जाएगी। संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास द्वारा योजना का कार्यान्वयन केन केयर पोर्टल के माध्यम से प्राप्त आवेदन एवं अन्य प्रक्रियाओं का पालन करते हुए किया जाएगा। परिशिष्ट–2 में अंकित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अपने संबंधित कोषागार से राशि की निकासी करेगें। योजनाओं के कार्यान्वयन की समय सीमा 31 मार्च, 2027 तक होगा।

(5) इस योजनांतर्गत बीज विक्रेता/परिवहन एजेन्सी को राशि का भुगतान CFMS के माध्यम से किया जाएगा। योजनांतर्गत श्रेणीवार स्वीकृत राशि का व्यय नियमानुसार किया जायेगा।

(6) उप निदेशक, ईख विकास एवं संयुक्त निदेशक, ईख विकास समय–समय पर योजनाओं का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण करेंगे। सहायक निदेशक, ईख विकास, योजना के जांच एवं धरातलीय क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होगें। सहायक निदेशक एवं उप निदेशक, ईख विकास भ्रमण एवं समीक्षा के दौरान पाये जाने वाले त्रुटि को तत्काल संयुक्त निदेशक/ईखायुक्त को प्रतिवेदित करेगें। जिला में आयोजित कृषि टास्क फोर्स की साप्ताहिक बैठक में भी इस योजना की समीक्षा की जाएगी।

(7) इस योजना के कार्यान्वयन हेतु गन्ना उद्योग विभाग प्रशासी विभाग होगा एवं ईखायुक्त योजना के नियंत्री पदाधिकारी होंगे। ईखायुक्त, बिहार के द्वारा योजनाओं की समीक्षा एवं अनुश्रवण समय–समय पर किया जायेगा।

10/8/2026

(8) इस योजना के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2026–27 में बजट शीर्षवार उपबंधित राशि एवं विकलनीय राशि का विवरण निम्न प्रकार है:–

क्रम सं0	बजट शीर्ष	विपत्र शीर्ष	उपबंधित राशि (लाख रू0)	निकासी हेतु स्वीकृत राशि / विकलनीय राशि (लाख रू0)
1.	मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उप मुख्यशीर्ष –00– लघु शीर्ष– 108 वाणिज्यिक फसलें मांग संख्या–45 उप शीर्ष– 0109 ईख विकास विपत्र कोड– 45–2401001080109	33 01 सब्सिडी	12818.50	1232.35
2.	मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उप मुख्यशीर्ष –00 लघुशीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–मांग संख्या–45–उपशीर्ष–0108–ईख विकास विपत्र कोड संख्या–45–2401007890108	33 01 सब्सिडी	2480.00	238.42
3.	मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उप मुख्यशीर्ष –00 लघुशीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना–मांग संख्या–45–उपशीर्ष– 0129 –ईख विकास विपत्र कोड संख्या–45–2401007960129	33 01 सब्सिडी	201.50	19.37
	योग–		**15500.00**	**1490.14**

(9). इस योजना का विस्तृत कार्यान्वयन अनुदेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

(10). योजनाओं में शत प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित करने हेतु प्रशासी विभाग द्वारा वित्तीय लक्ष्य के अधीन योजनाओं के भौतिक लक्ष्य में अंतर परिवर्तन किया जा सकेगा।

(11). इस योजनांतर्गत किसानों से ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करने एवं अन्य आवश्यक प्रक्रिया Cane Care Portal के माध्यम से किया जायेगा। सॉफ्टवेयर में निहित प्रक्रिया के अनुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इस योजनांतर्गत अवयववार वित्तीय लक्ष्य के अंतर्गत ही भौतिक लक्ष्य की प्राप्ति की जाएगी।

(12) यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक–2561(वि॰)2 दि0–17.04.98 के आलोक में स्वीकृत की जा रही है। स्वीकृत राशि के विरूद्ध वित्त विभाग, बिहार, पटना द्वारा विमुक्त किए गए राशि के अधीन आवंटन निर्गत किया जा सकेगा।

(13) योजना प्रस्ताव पर विभागीय स्थायी वित्त समिति की दिनांक–17.07.2026 तथा वित्त विभाग के संकल्प संख्या सं0–343/वि॰ दिनांक–09.04.2026 में निहित प्रावधान के आलोक में स्कीम स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा दिनांक–29.07.2026 को प्राप्त है।

(14) स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं0–01/विकास–यो0–241/2026 के पृष्ठ सं0–10/टि॰ पर प्राप्त है।

(15) स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका सं0–01/विकास–यो0–241/2026 के पृष्ठ सं0–11/टि॰ पर प्राप्त है।

(16) वित्त विभाग के पत्रांक–7355 दिनांक–05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

अनुलग्नक–यथोक्त:

विश्वासभाजन

10/8/2026

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या–01/विकास–यो0–241/2026– 287 ई0वि0 पटना, दिनांक– 10 अगस्त, 2026

प्रतिलिपि– काराधार पदाधिकारी, गोपालगंज/बेतिया/मोतीहारी/सीतामढ़ी/सिवान/समस्तीपुर/भागलपुर/पूर्णियाँ/गया/दरभंगा/भोजपुर/जमुई/मुजफ्फरपुर/सहरसा/पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या–01/विकास–यो0–241/2026– 287 ई0वि0 पटना, दिनांक– 10 अगस्त, 2026

प्रतिलिपि– वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/ उप निदेशक, योजना एवं विकास विभाग, बिहार/उप सचिव, गन्ना उद्योग विभाग/संयुक्त निदेशक, ईख विकास/संयुक्त ईखायुक्त, बिहार, पटना/विशेष कार्य पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग/विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार/उप निदेशक, ईख विकास, पूसा, मोतिहारी एवं पटना/सभी सहायक निदेशक, ईख विकास तथा प्रबंधक/महाप्रबंधक/कार्यपालक अध्यक्ष, राज्य की सभी कार्यरत चीनी मिल/महाप्रबंधक, प्रतापपुर चीनी मिल/सचिव, विस्मा/संबंधित के॰भी॰के॰/राज्य के कृषि विश्वविद्यालय/सभी विशेष ईख पदाधिकारी एवं ईख पदाधिकारी/SIO, NIC, Patna/वरीय तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आई0 टी0 प्रबंधक, गन्ना उद्योग विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या–01/विकास–यो0–241/2026– 287 ई0वि0 पटना, दिनांक– 10 अगस्त, 2026

प्रतिलिपि– सभी जिलाधिकारी/निदेशक, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ एवं प्रभारी पदाधिकारी, IISR, लखनऊ–क्षेत्रीय केन्द्र मोतीपुर/निदेशक, ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा/सभी जिला कृषि पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या–01/विकास–यो0–241/2026– 287 ई0वि0 पटना, दिनांक– 10 अगस्त, 2026

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग के आप्त सचिव/सचिव, गन्ना उद्योग विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ईखायुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

परिशिष्ट–1

वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य योजना के तहत " नये क्षेत्रों में गन्ना फसल क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम " का कार्यालयवार स्वीकृत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रु0 में)

क्र सं	कार्यालय का नाम	संबंधित जिला	रकबा (एकड़)			सेट @ 25 क्वी0 प्रति एकड़ (क्वींटल)	वित्तीय लक्ष्य (470 रु0/क्वींटल) (लाख रु0)	सिंगल बड प्लांटलेट्स @ 10,000 पौधे प्रति एकड़	वित्तीय लक्ष्य (03 रु0/प्लान्टलेट्स) (लाख रु0)	बीज की कटाई एवं लोडिंग/अनलोडिंग का खर्च (50 रु0 प्रति/क्वींटल) (लाख रु0)	आकस्मिकता व्यय/बीज परिवहन (0.80 रु0 प्रति क्वी0 प्रति कि0मी0 की दर से) (लाख रु0)	कुल वित्तीय लक्ष्य (लाख रु0) (8+10+12)
			रकबा (सेट आच्छादित)	रकबा (सिंगल बड प्लान्टलेट्स आच्छादित)	योग (4+5)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	सहायक निदेशक, ईख विकास, दरभंगा	दरभंगा	1900	100	2000	47500	223.25000	1000000	30.00	23.75000	144.00	397.25000
2		मधुबनी	1900	100	2000	47500	223.25000	1000000	30.00	23.75000	160.00	413.25000
3	सहायक निदेशक, ईख विकास, गोपालगंज	गोपालगंज	700	100	800	17500	82.25000	1000000	30.00	8.75000	16.00	128.25000
4	सहायक निदेशक, ईख विकास, सीतामढ़ी	सीतामढ़ी	400	100	500	10000	47.00000	1000000	30.00	5.00000	10.00	87.00000
5		शिवहर	50	0	50	1250	5.87500	0	0.00	0.62500	1.00	6.87500
6	सहायक निदेशक, ईख विकास, सिवान	सारण	100	0	100	2500	11.75000	0	0.00	1.25000	4.00	15.75000
7		सिवान	150	50	200	3750	17.62500	500000	15.00	1.87500	8.00	40.62500
8	सहायक निदेशक, ईख विकास, मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर	150	50	200	3750	17.62500	500000	15.00	1.87500	8.00	40.62500
9		वैशाली	150	50	200	3750	17.62500	500000	15.00	1.87500	8.00	40.62500
10	सहायक निदेशक, ईख विकास, पटना	पटना	40	10	50	1000	4.70000	100000	3.00	0.50000	4.00	11.70000
11		अरवल	50	0	50	1250	5.87500	0	0.00	0.62500	5.00	10.87500
12		जहानाबाद	40	10	50	1000	4.70000	100000	3.00	0.50000	5.00	12.70000
13		नालंदा	50	0	50	1250	5.87500	0	0.00	0.62500	5.60	11.47500
14	सहायक निदेशक, ईख विकास, भागलपुर	भागलपुर	80	20	100	2000	9.40000	200000	6.00	1.00000	6.00	21.40000
15		बाँका	40	0	40	1000	4.70000	0	0.00	0.50000	2.40	7.10000
16	सहायक निदेशक, ईख विकास, गयाजी	गया जी	40	10	50	1000	4.70000	100000	3.00	0.50000	6.00	13.70000
17		नवादा	40	10	50	1000	4.70000	100000	3.00	0.50000	6.00	13.70000
18		औरंगाबाद	40	10	50	1000	4.70000	100000	3.00	0.50000	4.80	12.50000
19	सहायक निदेशक, ईख विकास, भोजपुर	भोजपुर	40	10	50	1000	4.70000	100000	3.00	0.50000	4.20	11.90000
20		रोहतास	50	0	50	1250	5.87500	0	0.00	0.62500	5.60	11.47500
21		बक्सर	50	0	50	1250	5.87500	0	0.00	0.62500	4.40	10.27500
22		कैमूर	50	0	50	1250	5.87500	0	0.00	0.62500	6.80	12.67500

10/9/24

Scanned with OKEN Scanner

क्र0 सं0	कार्यालय का नाम	संबंधित जिला	रकबा (एकड़)			सेट @ 25 क्वी0 प्रति एकड़ (क्वींटल)	वित्तीय लक्ष्य (470 रु0/क्वींटल) (लाख रु0)	सिंगल बड प्लान्टलेट्स @ 10,000 पौधे प्रति एकड़	वित्तीय लक्ष्य (03 रु0/प्लान्टलेट्स) (लाख रु0)	बीज की कटाई एवं लोडिंग/अनलोडिंग का खर्च (50 रु0 प्रति/क्वींटल) (लाख रु0)	आकस्मिकता व्यय/बीज परिवहन (0.80 रु0 प्रति क्वीं0 प्रति कि0मी0 की दर से) (लाख रु0)	कुल वित्तीय लक्ष्य (लाख रु0) (8+10+12)
			रकबा (सेट आच्छादित)	रकबा (सिंगल बड प्लान्टलेट्स आच्छादित)	योग (4+5)							
23	सहायक निदेशक, ईख विकास, जमुई	जमुई	40	10	50	1000	4.70000	100000	3.00	0.50000	6.00	13.70000
24		मुंगेर	50	0	50	1250	5.87500	0	0.00	0.62500	5.80	11.67500
25		लखीसराय	50	0	50	1250	5.87500	0	0.00	0.62500	5.50	11.37500
26		शेखपुरा	25	0	25	625	2.93800	0	0.00	0.31250	3.00	5.93800
27	सहायक निदेशक, ईख विकास, सहरसा	सहरसा	40	10	50	1000	4.70000	100000	3.00	0.50000	5.60	13.30000
28		मधेपुरा	50	0	50	1250	5.87500	0	0.00	0.62500	6.42	12.29000
29		सुपौल	25	0	25	625	2.93700	0	0.00	0.31250	3.00	5.93700
30	सहायक निदेशक, ईख विकास, पूर्णियाँ	पूर्णिया	50	0	50	1250	5.87500	0	0.00	0.62500	4.00	9.87500
31		कटिहार	50	0	50	1250	5.87500	0	0.00	0.62500	4.00	9.87500
32		किशनगंज	50	0	50	1250	5.87500	0	0.00	0.62500	4.00	9.87500
33		अररिया	50	0	50	1250	5.87500	0	0.00	0.62500	4.00	9.87500
34	सहायक निदेशक, ईख विकास, समस्तीपुर	समस्तीपुर	80	20	100	2000	9.40000	200000	6.00	1.00000	2.00	17.40000
35		बेगुसराय	80	20	100	2000	9.40000	200000	6.00	1.00000	2.80	18.20000
36		खगड़िया	40	10	50	1000	4.70000	100000	3.00	0.50000	1.40	9.10000
		Total	6905	745	7490	169750	797.82500	7000000	210.00	84.87500	482.32	1490.14

10/9/2022

ईखायुक्त, बिहार।

परिशिष्ट–'2'

वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य योजना के तहत " नये क्षेत्रों में गन्ना फसल क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम " का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारीवार उनके सामने श्रेणीवार स्वीकृत राशि तथा संबंधित कोषागार का नाम जिससे राशि की निकासी की जायेगी का विवरणी।

क्र0 सं0	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/ कार्यालय का नाम	स्वीकृत राशि (लाख रू0 में)				कोषागार का नाम जहाँ से राशि की निकासी की जायेगी
		सामान्य	अनु0 जाति	अनु0 जन जाति	योग	
1	2	3	4	5	6	7
1	सहायक निदेशक, ईख विकास, दरभंगा	670.28800	129.68000	10.53200	810.50000	कोषागार, दरभंगा
2	सहायक निदेशक, ईख विकास, गोपालगंज	106.06000	20.52000	1.67000	128.25000	कोषागार , गोपालगंज
3	सहायक निदेशक, ईख विकास, सीतामढ़ी	77.63500	15.02000	1.22000	93.87500	कोषागार, सीतामढी
4	सहायक निदेशक, ईख विकास, सिवान	46.62200	9.02000	0.73300	56.37500	कोषागार, सिवान
5	सहायक निदेशक, ईख विकास, मुजफ्फरपुर	67.19400	13.00000	1.05600	81.25000	कोषागार, मुजफ्फरपुर
6	सहायक निदेशक, ईख विकास, पटना	38.66200	7.48000	0.60800	46.75000	कोषागार, पटना
7	सहायक निदेशक, ईख विकास, भागलपुर	23.57000	4.56000	0.37000	28.50000	कोषागार, भागलपुर
8	सहायक निदेशक, ईख विकास, गयाजी	32.99700	6.38400	0.51900	39.90000	कोषागार, गयाजी
9	सहायक निदेशक, ईख विकास, भोजपुर	38.31100	7.41200	0.60200	46.32500	कोषागार, भोजपुर (आरा)
10	सहायक निदेशक, ईख विकास, जमुई	35.30300	6.83000	0.55500	42.68800	कोषागार, जमुई
11	सहायक निदेशक, ईख विकास, सहरसा	26.07300	5.04400	0.41000	31.52700	कोषागार, सहरसा
12	सहायक निदेशक, ईख विकास, पूर्णियाँ	32.66600	6.32000	0.51400	39.50000	कोषागार, पूर्णियाँ
13	सहायक निदेशक, ईख विकास, समस्तीपुर	36.96900	7.15000	0.58100	44.70000	कोषागार, समस्तीपुर
	योग–	**1232.35000**	**238.42000**	**19.37000**	**1490.14000**	

ईखायुक्त, बिहार।

Scanned with OKEN Scanner